संख्या- 5 /2023/12/002-53-2099-940-2019-2(48)2014

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-690/वित्त सम्भाग-3/पीसीडीएफ-ऋण/2022-23, दिनांक 03 जनवरी, 2023 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखाशीर्षक ''6404-डेरी विकास के लिए कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण-30-निवेश/ऋण'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष (प्रथम किश्त के रूप शासनादेश संख्या-28/2022/734/003-53-2099-940-2019, दिनांक 09 सितम्बर, 2022 द्वारा रू0 1000.00 लाख की धनराशि निर्गत) अवशेष धनराशि रू0 1500.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नही रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/ प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्कतानुसार आहरित की जायेगी।

(4) ऋण के रूप में पीसीडीएफ को उपलब्ध करायी जा रही प्रश्नगत धनरशि हेतु ऋण की शर्तो का निर्धारण वित्त (आय-व्ययक) अनु0-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/ बी-4-857/दस-2016-6-1965 दिनांक 28 दिसम्बर 2016 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही ऋण की धनराशि की अदायगी पीसीडीएफ द्वारा अधिकतम 05 वर्षो के अन्दर एवं ब्याज सहित सुनिश्चित की जायेगी।

(7) नियत समय पर ऋण/ब्याज का प्रतिदान /भुगतान करने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऋण/ ब्याज का समय प्रतिदान /भुगतान न होने पर अथवा कोई किश्त कालातीत होने पर ऋण की स्वीकृत आदेश में निर्धारित दर पर ब्याज देना होगा अर्थात ब्याज दर में कोई छूट नही दी जायेगी।

(8) स्वीकृत पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-225 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर जिस खाते में जमा किया जायेगा, यदि उस खाते में कोई ब्याज अर्जित होता है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।

(10) आंकडो की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धाशाला विकास का होगा।

(11) स्वीकृत की जा ही धनराशि की उपलब्धता के संबंध में दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग सुनिश्चित हो लेगें।

(12) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 6404001900500 कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-371-X-2022-23, दिनांक 13 जनवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 5 /2023/12(1) /002-53-2099-940-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वतीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3,उ0प्र0 शासन।
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
12- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in